

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पकल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 783 दिनांक 27/11/2020

पार्थी भराराम जोयल डा० श्री पैमाराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6370/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9669/3394 3395

दिनांक 27/11/2020 को जमा करा दी है ।

27/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

भराराम

जी+1
आवासीय

P.No: हस्ताक संख्या की पुने
जी अडी प्रथम की रोड सखारपुरा